जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.02.2024

प्रेस नोट

थाना कांधला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अल्प समयावधि में थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अम्बेहटा के जंगल में हुयी विवाहिता की हत्या में वांछित हत्याभियुक्त पति को किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल पेचकस व स्कूटी बरामदः-

दिनांक 02.02.2024 को साईबा पत्नि सुलतान निवासी मौहल्ला खेल थाना कांधला जनपद शामली की मृत्यु के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सूचना प्राप्त हुई थी । उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण व स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके से साक्ष्य एकत्र कर मृतका के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था । दिनांक 03.02.2024 को मृतका के पिता महमूद पुत्र मौहम्मद अहमद निवासी कस्बा मौहल्ला अफगानान थाना कैराना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष कांधला को निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अम्बेहटा के जंगल में हुयी विवाहिता की हत्या में वांछित हत्याभियुक्त पति को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल पेचकस व स्कूटी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का उद्देश्यः- अभियुक्त सुल्तान पुत्र अहसान निवासी मौहल्ला खैल थाना काधला जनपद शामली नें पूछताछ पर बताया कि मेरी दूसरी शादी शाईबा पुत्री महमूद निवासी मौहल्ला अफगनान थाना कैराना जनपद शामली से दिनांक 06.11.2023 को हुई थी। शाईबा की सगाई करीब 03 वर्ष पूर्व किसी अन्य व्यक्ति से भी हुई थी। शाईबा बार बार मुझ से शादी करके पश्चताने की बात कहती थी तथा पूर्व में हुई सगाई वाले व्यक्ति को अक्सर मुझसे अच्छा बताती थी। दिनांक 29.1.2024 को मेरी व शाईबा की इसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी और शाईबा अपने मायके चली गयी थी। दिनांक 02.02.24 को मै अपनी पत्नी शाईबा को स्कूटी से अपनी ससुराल लेने गया था। मैं शाम करीब 06.00 बजे अपनी पत्नी शाईबा को स्कूटी से लेकर कैराना से वापस अपने घर आ रहा था तो शाईबा अपने पूर्व प्रेमी के बारे मे बात कर करते हुये कह रही थी कि मेरे घरवालो ने मेरी शादी तुमसे करके मेरा जीवन बरबाद कर दिया। इसी बात से मुझे गुस्सा आ गया और मैं करीब शाम 7.00 बजे शाईबा को बहाने से स्कूटी पर जंगल मे ले गया और शाईबा की गला दबाकर हत्या कर दी तथा स्कूटी की डिग्गी में रखे पेचकस से शाईबा की छाती व पेट पर तीन वार किये जिससे लगे कि शाईबा को किसी ने गोली मार दी है। इसके बाद मैं स्कूटी लेकर घर पर पहुँचा तथा अपने भाई गुल्लू उर्फ गुलनवाज व परिवार वालो से बताया कि रास्ते में मुझे व शाईबा को बदमाशो ने घेर लिया और बदमाश शाईबा को अपने साथ ले गये है, फिर मै अपने भाई गुलनवाज के साथ थाने गया तथा पुलिस को सूचना दी। पुलिस हमे साथ लेकर घटनास्थल पर गयी जहां पर शाईबा की लाश पडी थी मौके पर काफी भीड़ इक्ट्ठा थी पुलिस को मुझ पर शक होने लगा तो मै भीड का फायदा उठाकर स्कूटी को पास के टयूबवैल के

पीछे मौके से भाग गया था। मैने अपनी पत्नी की हत्या उसकी पूर्व में हुई सगाई वाले व्यक्ति को मुझसे अच्छा बताने व अक्सर उसकी तारीफ करने को लेकर की है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.- सुल्तान पुत्र अहसान निवासी मौहल्ला खैल थाना कांधला जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.- आलाकत्ल एक पेचकस।

2.- घटना में प्रयुक्त स्कूटी रजि0 न0- HR24AF 3919 ।

<u>आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्तः-</u>

1. मु0अ0स0 320/2021 धारा 147/148/308/323/325/504 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

2. मु0अ0सं0 487/2023 धारा 147/148/149/307/323/336/504/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 34/2024 धारा 302 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

<u>थाना बाबरी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 03.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 01.02.2024 को थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना बाबरी पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी बाबरी को निर्देशित किया गया था।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.शक्ति पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम सलावा थाना सरधना जनपद मेरठ।

<u>आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्तः-</u>

1.मु0अ0सं0 11/2024 धारा 363/366/376 भा0द0वि0व 3/4 पोक्सो अधिनियम थाना बाबरी जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से जनपद पानीपत से चोरी हुई मोटर साईकिल बरामदः-

आज दिनांक 03.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चेकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को चोरी की 01 मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बरामदा मोटर साईकिल थाना तहसील कैम्प जनपद पानीपत क्षेत्र से चोरी की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तहसील कैम्प जनपद पानीपत को सूचित कराया जा रहा है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.राहुल पुत्र पाल्ला निवासी अस्पताल कालोनी थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की गयी मोटर साईकिल हीरो एचएफ डीलक्स रजि0नं0 HR06A9690 ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 317/2020 धारा 308/323/325/504/506 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 477/2022 धारा 379 भादवि थाना तहसील कैम्प जनपद पानीपत हरियाणा।

3.मु0अ0सं0 30/2024 धारा 414 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा निर्माणाधीन हाईवे से सामान चोरी करने के मामले में 03 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया सामान व अवैध हथियार बरामदः-

आज दिनांक 03.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन शामली-अंबाला हाईवे से सामान चोरी करने के मामले में 03 चोरो को चोरी किये गये सामान व अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 01.02.2024 को श्री अंकुर त्यागी पुत्र श्री सत्येन्द्र त्यागी –राज श्यामा कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुतुबगढ़ के पास निर्माणाधीन शामली-अंबाला हाईवे से अज्ञात चोरो द्वारा सामान चोरी करने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.विजय उर्फ मन्नी पुत्र प्रदीप ठाकुर हाल निवासी मौहल्ला खेल थाना थानाभवन जनपद शामली, स्थायी पता ग्राम गोगवान थाना बाबरी जनपद शामली।

2.महबूब पुत्र स्व0 इशाक निवासी मौहल्ला सराय थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.अरुण शर्मा पुत्र सत्यभान शर्मा निवासी ग्राम गोगवान थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. 15 पाईप लोहा प्रत्येक की लम्बाई करीब 4 फुट।

2.एक जैक पेंच लम्बाई करीब 02 फुट।

3.एक गाटर लौहा लम्बाई करीब 10 फुट।

4.दो अवैध चाकू।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विजय उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 28/2024 धारा 379/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 31/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 22/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 09/2023 धारा 457/380 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त महबूब उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 28/2024 धारा 379/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 31/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना थानाभवन जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरुण उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 28/2024 धारा 379/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से मंदिर के दानपात्र से चोरी की गयी नगदी बरामदः-</u>

आज दिनांक 03.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 चोर को मंदिर के दान पात्र से चोरी की गयी नगदी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 02.02.2024 को श्री यशस्वी शर्मा पुत्र स्व0 सुभाष चन्द्र शर्मा अध्यक्ष मन्दिर कमेटी बिडौली चौक थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा मंदिर के दान पात्र से अज्ञात चोर द्वारा नगदी चोरी करने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.मोहन पुत्र कर्मवीर निवासी रावर थाना मधुबन जनपद करनाल हरियाणा।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.मंदिर के दान पात्र से चोरी नगदी (531/-रुपये)।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI